



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17122020-223746
CG-DL-E-17122020-223746

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4009]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 17, 2020/अग्रहायण 26, 1942

No. 4009]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 17, 2020/AGRAHAYANA 26, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

(राजस्व आसूचना निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 दिसम्बर, 2020

सं. 65/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राआनि)

का.आ. 4563(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.का.नि. 453(अ), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित एवं यथा अधिसूचना सं. 133/2015-सीमा शुल्क (गै.टै.), संख्या सा.का.नि. 916(अ), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में प्रधान महानिदेशक राजस्व आसूचना एतद् द्वारा बोर्ड द्वारा निर्गमित अधिसूचना सं. 26/2016-सीमा शुल्क (गै.टै.) दिनांक 16.02.2016, का.आ. 496 (अ) दिनांक 16.02.2016 द्वारा प्रकाशित, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

उपरोक्त अधिसूचना की तालिका के क्रम सं. 32 और 35 के स्तंभ सं. 5 में मौजूद प्रविष्टियों को “प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क, निर्यात, न्यू कस्टम हाउस, बल्लार्ड इस्टेट, मुंबई” से प्रतिस्थापित कर दिया जाए।

[फा. सं. DRI/HQ-CI/50D/CAA-46/2020]

दीपक कुमार, संयुक्त निदेशक

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)****(DIRECTORATE OF REVENUE INTELLIGENCE)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th December, 2020

No. 65/2020-Customs (N.T./CAA/DRI)

S.O. 4563(E).—In pursuance of notification No. 60/2015-Customs (N.T.), published *vide* number G.S.R. 453(E), dated 4th June 2015 in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), and as amended by notification No. 133/2015-Customs (N.T.), published *vide* number G.S.R. 916(E) dated 30th November 2015 in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), issued by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, under clause (a) of section 152 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Principal Director General, Revenue Intelligence, hereby makes the following amendments in the Notification No. 26/2016-Customs (N.T.) dated 16.02.2016 published *vide* S.O. 496(E) dated 16.02.2016, issued by the Board.

In the Table to the said notification, against serial number 32 and 35, in column 5, for the existing entries, “The Principal Commissioner/Commissioner of Customs, Export, New Custom House, Ballard Estate, Mumbai” shall be substituted.

[F. No. DRI/HQ-CI/50D/CAA-46/2020]

DEEPAK KUMAR, Jt. Director